

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

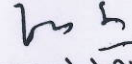
क्रमांक:- प.4(ई)(वी)अलेसे।।। लिंक नं. 10196/270, दिनांक:- 07/02/2019

कार्यालय आदेश

सुश्री वीना खान चंदानी लिंक: नं.-10196 कनि0 लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी कोषालय उदयपुर(ग्रामीण) को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत असाधारण अवकाश(अवैतनिक) स्वयं की शादी के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 06.11.2017 से 10.11.2017 तक 5 दिवस

उक्त कुल 5 दिवस का असाधारण अवकाश(अवैतनिक) का इन्द्राज सुश्री वीना खान चंदानी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- प.4(ई)(वी)अलेसे।।। लिंक नं. 10196/270, दिनांक:- 07/02/2019

प्रतिलिपी निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. कोषाधिकारी, कोषालय उदयपुर(ग्रामीण)
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. सुश्री वीना खान चंदानी लिंक: नं.-10196 कनि0 लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोषालय उदयपुर(ग्रामीण)
5. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-।।।)